171
163

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक सी. 3–2/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 03 जुलाई, 2014.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय :– विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने बावत्।

—00—

सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 24 अप्रेल, 2013 द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठके नियमित रूप से तथा वर्ष में दो बार आयोजित किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

2/ राज्य शासन के ध्यान में यह आया है कि विभिन्न संवर्गों की पदोन्नति हेतु आयोजित की जाने वाली बैठकें इस कारण लंबित रखी जाती हैं, क्योंकि फीडिंग केडर के विचारण क्षेत्र में आने वाले किसी अधिकारी/कर्मचारी के गोपनीय प्रतिवेदन या अन्य आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं होते। यह प्रक्रिया उचित नहीं है क्योंकि इससे अन्य अधिकारी/कर्मचारियों की पदोन्नति प्रभावित होती है। फलस्वरूप न्यायालयीन प्रकरण निर्मित होने की स्थिति भी निर्मित होती है।

3/ राज्य शासन द्वारा इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक संवर्ग की रिक्तियों हेतु प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली पदोन्नति समिति की बैठकें किसी एक–दो कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन/आवश्यक अभिलेखों के अभाव में लंबित नहीं रखी जाए। ऐसे लोक सेवकों के लिए पद रिक्त रखते हुए शेष उपलब्ध पदों की पूर्ति हेतु समय पर पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जाए। वर्ष में दो बार पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित करने के निर्देश पूर्व से ही जारी किए गए हैं, अतः अभिलेखों के अभाव में जिन लोक सेवकों के नामों पर विचार नहीं किया गया

[redacted]

है, उनके पूर्व अभिलेख/गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पुनः दूसरी डी.पी.सी. आयोजित की जाए।

4/ कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।

(के.सुरेश)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग